इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2020—फाल्गुन 5, शक 1941

आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2020

क्र. एफ-4-89-2018-25-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 12 में, उप–नियम (2) (क) में, प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

> "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित होंगे।"

2. नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"14. परिवीक्षा–

सीधी भर्ती के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित लोक सेवक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिये मूल वेतन के न्यूनतम 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत की दर से वृतिका प्राप्त करेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात वेतनमान में भुगतान प्रारंभ किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी जिसके दौरान तृतीय वर्ष के अनुसार वृतिका का भुगतान किया जाएगा। परिवीक्षा पर नियुक्त लोक सेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी यदि वह विस्तारित कालावधि के पश्चात भी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सका है। सेवा समाप्ति के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

Bhopal, the 24 February 2020

No.F 4-89-2018-25-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Tribes and Scheduled Castes Teaching Cadre (Service and Recruitment) Rules, 2018, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 12, in sub-rule (2)(a) for the first para, the following para shall be substituted, namely:-

"Posts shall be reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Eonomically Weaker Sections at direct recruitment stage in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye

Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994), as per the instruction issued vide General Administration Department's notification No. F-6-1/2002/आ.प्र./I dated 19th September, 2002 and orders issued by the State Government from time to time."

2. For rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Probation.-

Every person appointed under direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years. During the probation period the concerned public servant shall receive stipend at the rate of 70%, 80% and 90% of minimum basic pay for the first, second and third year respectively. After successful completion of probation period, the payment in the pay scale shall be commenced. The probation period being unsuccessful, the same may be extended for one year with the approval of the Appointing Authority during which stipend as per third year shall be paid. The services of the public servant appointed on probation shall be terminated, if probation is not completed successfully even after the extended period. Before terminating the service the person concerned shall be given an opportunity of being heard."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.